न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निग-1859-PBR/16

प्रकरण कमांक /2016 पुनरीक्षण

1. परमानन्द पुत्र श्री रामफूल देशवाली
2. प्रतापसिंह पुत्र श्री परमानन्द देशवाली

निवासीगण- ग्रामं तारासेवनिया, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म0प्र0

---आवेदकगण

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र श्री रामफूल देशवाली निवासी- ग्राम तारासेवनिया, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म0प्र0
2. रामानन्द पुत्र श्री भगवानसिंह निवासी- ग्राम चरनाल तहसील व जिला सीहोर, (म0प्र0) ---अनावेदकगण

<u>पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 30/01/2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील हुजूर जिला भोपाल, म0प्र0 के प्रकरण कमांक 20/अपील/15-16 व उनवान बृजमोहन आदि बनाम परमानन्द आदि ।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग.1859–पीबीआर / 2016 [परमानन्द/[illegible]] जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–6–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–1–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि म0प्र0भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 52 में हुये संशोधन के फलस्वरूप अधिकतम 3 माह के लिये स्थगन दिये जाने का प्रावधान है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आगामी आदेश तक तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 20–10–15 का क्रियान्वयन स्थगित करने में संहिता के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि उनके द्वारा अनेक पेशियों पर स्थगन निरस्त किये जाने संबंधी लिखित एवं मौखिक अनुरोध करने के बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन निरस्त नहीं किये जाने पर आवेदक द्वारा पुनः 7–6–16 को स्थगन निरस्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, इस पेशी दिनांक को भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन निरस्त नहीं करने के कारण यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2– अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 20–10–2015 का कियान्वयन पर आागमी आदेश तक रोक लगाई गई है, जबकि संहिता की धारा 52 में हुये संशोधन के फलस्वरूप अधिकतम 3 माह के लिये कार्यवाही रोके जाने का प्रावधान है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रथमदृष्टया विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह 3 माह में प्रकरण का निराकरण करें । अध्यक्ष	